न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
रसद अपील संख्या–23 / 2021
प्रेमीदेवी बनाम राज.सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.10.21	वकील अपीलान्ट की ओर से वकील श्री करणसिंह ने उपस्थिति पत्र पेश किया, जो शा0मि0 हो। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी उपस्थित।	

वकील श्री करणसिंह ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट प्रेमीदेवी उ.मू.दु. खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 65 / 2020 राज0 सरकार बनाम प्रेमीदेवी प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 08.02.2021 को निर्णय पारित किया उक्त निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय दिनांक 08.02.2021 के पृष्ठ संख्या–4 के पैरा संख्या–2 की पंक्ति संख्या–3 में "श्री बलदेवराम उचित मूल्य दुकानदार गंठिया तहसील मेड़ता" को जारी प्राधिकार पत्र का निरस्त करने का आदेश दिया गया है। तत्पश्चात जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा संशोधन आदेश कमांक–रसद / अभियोजन / 21 / 427 दिनांक 10.03.21 जारी कर उक्त विभागीय प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2021 के पृष्ठ संख्या 04 के पैरा संख्या–2 की पंक्ति संख्या–3 में सहवन से श्री बलदेवराम उचित मूल्य दुकानदार गठिया तहसील मेड़ता अंकित हो जाना अवगत कराते हुए श्री बलदेवराम उचित मूल्य दुकानदार गठिया तहसील मेड़ता के स्थान पर श्रीमति प्रेमी देवी उचित मूल्य दुकानदार खरेश तहसील डीडवाना पढे जाने का उक्त एकतरफा आदेश पारित कर दिया, जो अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई किये बिना संशोधन आदेश पारित किया है, जो कतई विधि अनुसार नहीं होने का कथन करते हुए उक्त संशोधन आदेश को अपास्त कर प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर समुचित आदेश पारित करने हेतु पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

जिला रसद अधिकारी नागौर ने प्रकरण रिमाण्ड करने पर किसी प्रकार का एतराज नहीं होने का कथन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथनों की रिकार्ड से पुष्टि होती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 08.02.2021 में संशोधन के संबंध में अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा संशोधन आदेश दिनांक 10.03.2021 को पारित किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या–65 / 20 राज. सरकार बनाम प्रेमी देवी प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2021 के संबंध में पारित संशोधन आदेश क्रमांक / रसद / अभियोजन / 21 / 427 दिनांक 10.03.21 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि निर्णय जैर अपील दिनांक 08.02.2021 में संशोधन के संबंध में अपीलान्ट को साक्ष्य, सुनवाई आदि का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली एवं आदेशिका की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश सुनाया। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:01 IST
Reason: SelfAttested